

सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 11.03.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा मे कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुये तीन महिला अभियुक्ता की गयी गिरफ्तार

कब्जे से चोरी हुये 01 कपडे का झोला, 04 मर्दाना पर्स, 02 लेडीज पर्स, 02 छोटी टार्च, 02 छोटी कैंची, 02 हाफ ब्लेड, 01 सफेद धागे की रील व 3250/- रूपये किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में <mark>थाना कोतवाली पुलिस</mark> द्वारा की गयी कार्यवाही। गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 11.03.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा शास्त्री चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि काजी पैट्रोल पम्प के बगल में भरथना ओवरब्रिज के नीचे तीन महिलाएं बैठी है, जो चोरी करने की योजना बना रही है। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये तीनों महिला अभियुक्ता को भरथना ओवरब्रिज के पास से समय 09.25 बजे गिरफ्तार किया गया। प्रिलिस पृछताछ:-

पकडी गयी तीनों महिला अभियुक्तागण से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 01 कपडे का झोला जिसमें 04 मर्दाना पर्स जिसमें कुल 2910/- रुपये, 02 छोटी टार्च, 02 छोटी कैंची, 02 हाफ ब्लेड, 01 सफेद धागे की रील, 02 लेडीज पर्स जिसमें कुल 340/- रुपये बरामद किये गये, जिनके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग रेलवे स्टेशन तथा टैम्पों आदि में बैठकर भीड-भाड में घुसकर लोगो की जेब काटती है व टैम्पों में बैठी महिलाओं के बैग में रखे जेवरात व पर्स भी चुरा लेती है तथा चोरी किया सामान भी हमने रेलवे स्टेशन इटावा व इकदिल के भीड-भाड वाले स्थानों से चोरी किया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 64/2024 धारा 401 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तागण-

- 01. अनीरा देवी पत्नी राजवीर पासी निवासी ग्राम सहारा थाना बिछवा जनपद मैनपुरी <mark>उम्र 52 वर्ष।</mark>
- 02. गुडिया देवी पत्नी अर्जुन पासवान निवासी ग्राम सहारा थाना बिछवा जनपद मैनपुरी <mark>उम्र 32 वर्ष।</mark>
- 03. पायल उर्फ प्रीती पुत्री मुकेश कुमार निवासी ग्राम सहारा थाना बिछवा जनपद मैनपुरी <mark>उम्र 20 वर्ष।</mark> <u>पंजीकृत अभियोग-</u>
 - 01. मु0अ0सं0 64/2024 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी:-

- 1. 01 कपडे का झोला
- 2. 04 मर्दाना पर्स
- 3. 02 लेडीज पर्स
- 4. 02 छोटी टार्च
- 02 छोटी कैंची
- 6. 02 हाफ ब्लेड
- 7. 01 सफेद धागे की रील
- 8. 3250/- रूपये

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 राजेश कुमार मौर्य, हे0का0 शमशुल हसन, म0का0 सुशीला देवी।